

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

भवन अनुज्ञा शाखा।

भवन अनुज्ञा हेतु वांछित अभिलेखों की प्रति निम्नानुसार सूचीबद्ध तरीके
से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:—

- (01) आनलाईन लिटेल एवं सी.डी.।
- (02) आवेदन पत्र।
- (03) नजूल विभाग दुर्ग से प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (04) नगर तथा ग्राम निवेश विभाग दुर्ग द्वारा प्रदत्त भू-उपयोग प्रमाण पत्र।
- (05) खसरा नक्शा, खसरा पांच शाला, ऋण पुस्तिका।
- (06) रजिस्ट्री।
- (07) एग्रीमेन्ट (हाउसिंग बोर्ड के लिये)।
- (08) डायवर्सन नोटिस प्रपत्र बी।
- (09) नगर तथा ग्राम निवेश विभाग दुर्ग में अनुमोदित ले—आउट।
- (10) आशय पत्र/आधिपत्य पत्र/भू अभिलेख में नाम दर्ज किये जाने से संबंधित पत्र।
(निगम से संबंधित प्लॉट पर)
- (11) शपथ पत्र।
- (12) क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, अवैध कालोनी का शपथ पत्र।
- (13) भूखण्ड का फोटोग्राफ (अवेदक के साथ)।
- (14) भूभाटक जमा रसीद (चालू वर्ष का)। (निगम प्लॉट पर)
- (15) क्षतिपूर्ति जमा रसीद। (चालू वर्ष का)। (निगम प्लॉट पर)
- (16) सम्पत्तिकर।
- (17) कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र/कालोनी विकास अनुमति पत्र/विकास अनुज्ञा एवं
अनुमोदिन ले—आउट की छायाप्रति।
- (18) मानचित्र ब्लू प्रिंट आर्किटेक्ट एवं आवेदक के हस्ताक्षर सहित।
- (19) परिवर्तित अवासीय भूखण्ड पर संपत्तिकर जमा रसीद की छायाप्रति।

